न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -30/2016

अनवान

श्रीमती रूपा बाई बेवा नन्दा जी भील, निवासी शम्भूपुरा, पोस्ट बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थानं

-वादीया

बनाम

1. श्रीमती फौरी बाई पत्नी स्व0 नन्दा जी भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी शम्भूपुरा, पोस्ट बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. छीतर पिता स्व0 नन्दा भील, जाति भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी शम्भूपुरा, पोस्ट बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. कन्हैया लाल पिता नन्दा भील, जाति भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी शम्भूपुरा, पोस्ट बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. भूमिधारी तहसीलदार साहब, रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 1, 2 स्वयं उपस्थित व 3 एकतरफा कार्यवाही
एवं 4 पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या 05 श्री अर्जुन सिंह अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 28.11.2024

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त अनवान सदर का एक वादपत्र प्रार्थीया ने न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किया है जो सुदृढ़ आधारों पर आधारित होकर वादीया के पक्ष में अवश्य ही निर्णित होगा। वादीया/प्रार्थीया का यह प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है। ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में वादीया/प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी रिकॉर्ड की निम्न वर्णित कृषि भूमियां व जो जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 29 पर खसरा संख्या 49, रकबा 0.74 है0 लगान 15.50, खसरा संख्या 50, रकबा 0.01 है0 लगान 7.14, खसरा संख्या 119, रकबा 0.34 है0 लगान 6.51 खसरा संख्या 120, रकबा 0.31 है0 लगान 8.82 खसरा संख्या 121, रकबा 0.42 है0 लगान 7.35 खसरा संख्या 122, रकबा 0.35 है0 लगान 1.05 खसरा संख्या 123, रकबा 0.05 है0 खसरा संख्या 124, रकबा 0.03 है0 खसरा संख्या 135, रकबा 0.47 है0 लगान 7.05, खसरा संख्या 156, रकबा 0.62 है0 लगान 13.02 कुल किता 10, कुल रकबा 03.33 है0, कुल लगानी 66.48 नन्दा पिता भुवान्या भील के नाम खातेदारी रिकॉर्ड से दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों के सेटलमेन्ट से पूर्व के साबित नम्बर जो जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 के खाते संख्या 30 पर खसरा संख्या 30, रकबा 0.73 है0, लगानी 03.37, खसरा संख्या 31, रकबा 0.01 है0, लगानी 04.37, खसरा संख्या 94, रकबा 0.34 है0, खसरा संख्या 95, रकबा 0.30 है0, लगानी 2.81, खसरा संख्या 96, रकबा 0.42 है0, लगानी 0.19, खसरा संख्या 97, रकबा 0.35 है0, लगानी 0.06, खसरा संख्या 98, रकबा 0.05 है0, खसरा संख्या 99, रकबा [illegible] है0, खसरा संख्या 103, रकबा 0.48 है0, लगानी 0.25, खसरा संख्या 114, रकबा 0.62 है0, लगानी 0.93, कुल किता 10, कुल रकबा 03.33 है0, कुल लगानी 66.48 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां स्व0 नन्दा पिता भुवाना जी भील निवासी शम्भुपुरिया के नाम खातेदारी रिकॉर्ड से दर्ज होकर (पृथ्वीराज गंगाराम व गोपाली) इन आराजी जेर बहस पर वादीया/प्रार्थीया एवं उसके भाईबंध काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसके पटवारी पटवार हल्का गोपालपुरा की रिपोर्ट साथ संलग्न है। वादीया/प्रार्थीया रूपाबाई स्व0 नन्दा पिता भुवाना की पत्नी होकर बेवा है तथा वादीया/प्रार्थीया के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:20:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

पति नन्दा का स्वर्गवास लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुका है। जिसका विरासत का इन्तकाल अथाद नामान्तरकरण फैसल हो शेष है। इसी ग्राम शम्भूपुरा प0ह0 गोपालुपरा में नन्दा पिता भुवाना भील नाम का एक अन्य व्यक्ति और था जिसका स्वर्गवास आज से लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुका है तथा इसकी पत्नी का नाम श्रीमति फोरी बाई है तथा दो पुत्र क्रमशः कन्हैया व छीतर भील है अर्थात् उक्त दोनों व्यक्ति का खातेदारान का नाम भी नन्दा भील है तथा इन दोनों के पिता का नाम भी भुवाना भील है अर्थात दोनों खातेदार का नाम एक जैसा है किन्तु दोनों के खाते की कृषि भूमियों के नम्बर अलग-अलग है। प्रतिवादी संख्या 01 फोरी बाई के पति तथा विपक्षीगण संख्या 02 व 03 के पिता स्व0 नन्दा भील ने अपने मिलने जुलते नाम का नाजायज फायदा उठा कर वादीया/प्रार्थीया रूपा बाई के पति स्व0 नन्दा भील पिता भुवाना भील के नाम खातेदारी रिकॉर्ड की उक्त कृषि भूमियों को बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बोराव में रहन रख कर ट्रेक्टर क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त कर लिया तथा यह ऋण वापिस जमा नही करवाया जबकि वादीया/प्रार्थीया के पति स्व0 नन्दा पिता भुवाना ने उक्त वर्णित कृषि भूमि भूमियों पर कभी भी बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बोराव से किसी प्रकार का कोई ऋण ही नही लिया वादीया/प्रार्थीया का पति स्व0 नन्दा भील आज से 15 वर्ष पूर्व ही फौत हो गया था तथा उसने अपने जीवन काल में भूमि विकास बैंक शाखा रावतभाटा से डीजल पम्प सेट क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त किया था जो उसने वापिस जमा करवा दिया था अपनी कृषि भूमियां ऋण मुक्त करवा ली थी। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीया की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी भूमि जो चरण संख्या 03 में वर्णित है उक्त भूमियों को रहन बय मुन्तकिल तथा खुर्द बुर्द नहीं करे तथा निलाम नहीं करे तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मुदाखलत, हस्तक्षेप, दखलंदाजी ना तो स्वयं करे और ना दिगर व्यक्ति से कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी संख्या 3 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा पारित हुए। विपक्षी संख्या 1 व 2 स्वयं 4 पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित। विपक्षी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत मय वकालतनामा प्रस्तुत हो जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 05 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी/प्रार्थी द्वारा जो वाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया है वह झूठा एवं मनगढंत तथा बेबुनियाद तथ्यो पर आधारित होने से निश्चित ही खारीज होगा तथा वादीया किसी प्रकार का कोई अनुतोष व राहत प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 राजस्व रिकार्ड के मुताबिक नन्दा पिता भुवान्या भील के नाम जो भूमि खातेदारी रिकार्ड है, वह सही है, उक्त भूमि पर ऋणी नंदा भुवान्या भील द्वारा दिनांक 07.03.2009 को ट्रेक्टर ऋण व के.सी.सी. ऋण प्राप्त किया था तथा साथ मे ही नंदा के बहनोई रूपलाल भील पिता भुवाना भील द्वारा भी संयुक्त रूप से ऋण प्राप्त किया था, जिस समय ऋण लिया गया था, उस समय ऋणी नंदा पिता भुवान्या, रूपा पिता भुवान्या भील के पहचान संबंधित समस्त दस्तावेज लिये गये थे, जिनमें राशन कार्ड की प्रति तथा राजस्व अधिकारियों से ऋणी द्वारा राजस्व रिकार्ड भी प्राप्त किया गया था,उसके बाद ऋणी द्वारा तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके का भौतिक सत्यापन भी करवाया गया था तथा उक्त वर्णित पैरा संख्या 01 में 1 की कृषि आराजीयात का धारा 6 (1) के अधीन घोषणा का रहननामा भी तहसीलदार उपपंजीयक महोदय, भैंसरोडगढ मुकाम रावतभाटा के यहां दिनांक 10.02.2009 को करवाने के बाद ही ऋण स्वीकृत किया गया था तथा उक्त रहन नामे को पटवारी पटवार हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 06 पर अमल किया गया था तथा तत्कालीन पटवारी जगन्नाथ आमेटा ने उक्त रहननामे का इन्तकाल दिनांक 16.02.2009 को इन्द्राज किया था तथा उक्त ऋण स्वीकृत करते समय बैंक द्वारा राजस्व कर्मचारियों को साथ में लेकर भौतिक सत्यापन कर ही ऋण स्वीकृत किया [illegible] कृषि आराजीयात का नामान्तरकरण स्व0 नंदा के वारिसान फोरी बाई, छीतर, कन्हैया[illegible] के [illegible] जो खुला है, वह सही है, क्योंकि उक्त इन्तकाल भी राजस्व कर्मचारियों [illegible] प्रमाणित है कि उक्त भूमियां ऋणी नंदा पिता भुवान्या उर्फ भुवाना भील की है [illegible] पत्र की कॉलम संख्या 03 का जवाब है कि प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 02 में वर्णित कृषि आराजीयात नंदा पिता भुवान्या उर्फ भुवान भील के खातेदारी की है तथा उक्त भूमियों पर नंदा [illegible] भुवान्या के वारिसान, फोरी बाई, छीतर, कन्हैयालाल ही काबिज है, लेकिन खाता ओवरडयू एन.पी.ए. हो जाने के कारण प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर उक्त भूमि को निलाम होने से बचाने के लिए मिलिभगत कर उक्त झूठा प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है, जो खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:20:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

होने योग्य है। प्रार्थीया रूपा बाई की जमीन अन्यत्र स्थित है, जिन कृषि आराजीयात पर ऋण स्वीकृत किया गया है,उस पर प्रार्थीया का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा उसके खाते में किसी प्रकार की कोई कृषि आराजीयात नही है। अंत में अप्रार्थी संख्या 05 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की जमीन ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 की खाता संख्या 29 पर दर्ज रिकार्ड कृषि भूमि खसरा संख्या 49, 50, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 135, 156 कुल किता 10 कुल रकबा 3.33है0 भूमि भूमियां स्व0 नन्दा पिता भुवाना जी भील निवासी शम्भुपुरिया के नाम खातेदारी रिकॉर्ड से दर्ज होकर (पृथ्वीराज गंगाराम व गोपाली) इन आराजी जेर बहस पर वादीया/प्रार्थीया एवं उसके भाईबंध काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है वादीया/प्रार्थीया रूपाबाई स्व0 नन्दा पिता भुवाना की पत्नी होकर बेवा है तथा वादीया/प्रार्थीया के पति नन्दा का स्वर्गवास लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुका है। जिसका विरासत का इन्तकाल अथार्द नामान्तरकरण फैसल हो शेष है। इसी ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 गोपालपुरा में नन्दा पिता भुवाना भील नाम का एक अन्य व्यक्ति और था जिसका स्वर्गवास आज से लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुका है तथा इसकी पत्नी का नाम श्रीमति फोरी बाई है तथा दो पुत्र क्रमशः कन्हैया व छीतर भील है अर्थात् उक्त दोनों व्यक्ति का खातेदारान का नाम भी नन्दा भील है तथा इन दोनों के पिता का नाम भी भुवाना भील है अर्थात दोनों खातेदार का नाम एक जैसा है किन्तु दोनों के खाते की कृषि भूमियों के नम्बर अलग-अलग है। मिलता जुलता नाम होने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा ली है,तथा अप्रार्थी संख्या 05 से ऋण ले लिया है और उक्त भूमि को बैंक के माध्यम से निलाम कराने पर आमदा है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना आवश्यक है। विपरित में वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड के मुताबिक नन्दा पिता भुवान्या भील के नाम जो भूमि खातेदारी रिकार्ड है, वह सही है, उक्त भूमि पर ऋणी नंदा भुवान्या भील द्वारा दिनांक 07.03.2009 को ट्रेक्टर ऋण व के.सी.सी. ऋण प्राप्त किया था तथा साथ मे ही नंदा के बहनोई रूपलाल भील पिता भुवाना भील द्वारा भी संयुक्त रूप से ऋण प्राप्त किया था, जिस समय ऋण लिया गया था, उस समय ऋणी नंदा पिता भुवान्या, रूपा पिता भुवान्या भील के पहचान संबंधित समस्त दस्तावेज लिये गये थे, जिनमें राशन कार्ड की प्रति तथा राजस्व अधिकारियों से ऋणी द्वारा राजस्व रिकार्ड भी प्राप्त किया गया था,उसके बाद ऋणी द्वारा तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके का भौतिक सत्यापन भी करवाया गया था। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 की खाता संख्या 29 पर दर्ज रिकॉर्ड कृषि भूमि खसरा संख्या 49, 50, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 135, 156 कुल किता 10 कुल रकबा 3.33है0 भूमि उक्त कृषि भूमि मृतक स्व0 नन्दा पिता भुवान्या भील के वारिसान के नाम जरिए इंतकाल दर्ज हुई है, किन्तु प्रार्थीया का दावा है कि स्व0 नन्दा प्रार्थीया के पति का नाम होकर उनके वारिसान प्रार्थीया है। अप्रार्थीगण द्वारा मिलता जुलता नाम का फायदा उठाकर इन्तकाल अपने नाम कराया है। उक्त कृषि आराजीयात का शहादत के आधार पर मूल वाद के निस्तारण पर ही मृतक स्व0 नन्दा के वारिसान की स्थिति स्पष्ट होनी प्रतित होती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 गोपालपुरा की खाता संख्या 29 में वह प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मूल [illegible] मुन्तकिल तथा खुर्द बुर्द नहीं करे तथा निलाम नहीं करे तथा प्रार्थीया के [illegible] किसी प्रकार की मुदाखलत, हस्तक्षेप, दखलंदाजी ना तो स्वयं [illegible]

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:20:37 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)